National Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040
Impact Factor: RJIF 5.22
www.nationaljournals.com
Volume 3; Issue 1; January 2018; Page No. 893-895

भ्रष्टाचार और भारत : एक शैक्षिक अवलोकन

Ravindra Kumar Dubey
Assistant Professor, Beni Madhav Singh Mahavidyalya, Bigahiya Allahabad, Allahabad state university, Uttar Pradesh, India

प्रस्तावना

भारत में भ्रष्टाचार चर्चा और आन्दोलनों का एक प्रमुख विषय रहा है। भ्रष्टाचार से देश की अर्थव्यवस्था और प्रत्येक व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत में राजनीतिक एवं नौकरशाही का भ्रष्टाचार बहुत ही व्यापक है। भ्रष्टाचार अर्थात् भ्रष्ट + आचार। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ तथा आचार का मतलब आचरण। अर्थात भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। किसी भी निर्णय को जब कोई शासकीय अधिकारी धन पर अथवा अन्य किसी लालच के कारण करता है तो वह भ्रष्टाचार कहलाता है।

भ्रष्टाचार विशेष रूप से प्रशासनिक भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अर्थशास्त्र में कौटिल्य चेतावनी भरे अंदाज में कहते हैं, ''सरकारी कर्मचारियों के आचरण के मामले में विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है। कोई व्यक्ति जिह्वा पर रखे हुए मधु या विष के स्वाद के प्रति उदासीन रहे, ऐसा सम्भव नहीं है, यानी राजपुरूष, अर्थात सरकारी अधिकारी निर्लिप्त भाव से न तो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, न अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकते हैं। पानी में चलने–फिरने वाली मछली कब, कैसे और कितना पानी पी जाती है, यह पता लगाना बहुत मुश्किल है। आशय यह है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय कितना स्वार्थ साधन कर लेंगे, यह मालूम करना अत्यंत कठिन है। अतः राजा को इनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए।'' 'अर्थशास्त्र नामक उच्चकोटि के ग्रन्थ में भ्रष्टाचार पर व्यक्त कौटिल्य के विचारों से यह ध्वनित होता है कि भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। कौटिल्य ने जिस समय अर्थशास्त्र की रचना की होगी, उस समय आज की तरह भोग की प्रवृतियाँ ही अस्तित्व में आई होंगी, तथापि किसी–न–किसी स्तर पर भ्रष्टाचार विद्यमान रहा होगा, जिसकी रोकथाम के लिए उन्हें यह बात कहनी पड़ी।

वर्तमान में भारतीय समाज में भ्रष्टाचार अपने विकराल रूप में इस तरह फैल चुका है कि अब यह मात्र व्यवहार न होकर एक स्वीकृत मनोवृत्ति बन चुका है। भले ही इसका मुख्य असर लगातार विकसित होते मध्य वर्ग पर अधिक दिखता हो, पर उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है। अधिकतर राजनेताओं में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ज्यादा तीव्र होने और बार–बार सरकार बदलने से आने वाली राजनीतिक अस्थिरता ने राजनीतिक प्रतिष्ठान को भ्रष्ट बनाया है। आज लगभग एक तिहाई भारतीयों के लिए पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, साधन की पवित्रता कोई मायने नहीं रखती है। भ्रष्टाचार सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है, विश्व के अनेक विकसित और विकासशील देश इसकी गिरफ्त में हैं। यह अलग बात है कि भारत में इसकी विकरालता अधिक है। अब जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र इससे अछूता हो। यदि यह कहा जाए कि भ्रष्टाचार रोजमर्रा की जिन्दगी में शामिल हो चुका है, यह रक्त की तरह कार्यालय के हर बाबू के नसों में दौड़ रहा है। सड़क से लेकर संसद तक मंत्री से लेकर संतरी तक सभी भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबे हैं।

सड़क पर इस कदर
कीचड़ बिछी है कि,
हर किसी का पाँव
घुटनों तक सना है।

–दुष्यन्त।

भारत में भ्रष्टाचार मूलतः 1950 के दशक की एक अनहोनी शुरूआत है। आजाद भारत में जो पहला घोटाला संज्ञान में आया, वह 1949 में 216 करोड़ रूपये की जीप घोटाला था। यह भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के समय में हुआ था। 1957 में भूंदडा कांड को भारतीय गणतंत्र का पहला घोटाला माना जाता है जिसमें राजनीति और किसी पूँजीपति के बीच अपवित्र गठजोड़ बना था। इसके बाद घोटालों की बाढ़ सी आ गई। भ्रष्टाचार घोटालों के रूप में नित नये गुल खिलाने लगा। शेयर घोटाला, बोफोर्स घोटाला, चारा घोटाला, यूरिया घोटाला, कामनवेल्थ घोटाला, 2–जी स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श सोसायटी घोटाला, कोलगेट, घोटाला, अगस्ता वेस्टलैण्ड हेलीकाप्टर सौदा घोटाला कहाँ तक गिनाया जाए, जनता को स्तब्ध कर देने वाली फेहरिस्त बहुत लम्बी–चौड़ी है।

ट्रांसपरेंसी इन्टरनेशनल के भ्रष्टाचार संवेदन सूचकांक के अनुसार सन् 2016 में विश्व के 176 देशों में से भारत का स्थान 79वाँ था। आज भारत में भ्रष्टाचार विश्व की प्रचलित दरों से ठीक दोगुना होते हुए अभी तक के अपने चरम स्तर पर है। वैश्विक आधार पर जहाँ सन् 2012 में सार्वजनिक सेवाओं तथा संस्थानों का उपयोग किये जाने के लिए 27 प्रतिशत लोगों ने घूस दी थी, वहीं भारत में ऐसा करने वाले लोगों का प्रतिशत 54 था। भारत में राजनीति दलों को सबसे अधिक भ्रष्ट पाया गया है, जिनकी भ्रष्टाचार की दर 5 के पैमाने पर 4.4 तक है (जिनमें 1 न्यूनतम भ्रष्ट है जबकि 5 सबसे अधिक)।

घूस की सबसे बड़ी राशि (62 प्रतिशत) का संग्रहण पुलिस के द्वारा किया गया, जिसके पश्चात् पंजीकरण एवं परमिट में संलिप्त लोगों द्वारा (61 प्रतिशत), शैक्षणिक संस्थानों में (48 प्रतिशत) तथा भूमि सम्बन्धी सेवाएँ में (38 प्रतिशत)। भारत की न्यायपालिका की भी घूस लेने में संलिप्तता पाई जा चुकी है। ये निष्कर्ष ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल के वैश्विक भ्रष्टाचार के बैरोमीटर 2013 के द्वारा 107 देशों में 1.14 लाख लोगों पर सम्पन्न किये गये एक सर्वेक्षण पर आधारित है।

भ्रष्टाचार की व्यापकता को देखते हुए अब इसे संक्षिप्त में परिभाषित कर पाना तो सम्भव नहीं है, क्योंकि जीवन से मरण तक भ्रष्टाचार का संजाल फैला हुआ है, तथापि संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जब राजनीतिक शक्ति का वैयक्तिक अथवा किसी गुट या वर्ग

के स्वार्थ और लाभ के लिए इस ढंग से प्रयोग किया जाए कि विधि अथवा उच्च नैतिक प्रतिमानों का उलंघन हो, तो यह स्थिति भ्रष्टाचार के दायरे में आती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत में भ्रष्टाचार को परिभाषित करने वाली यह स्थिति अब स्थाई प्रभाव में आ गई है और सिर्फ राजनीति या लोक प्रशासन तक सीमित न रह कर आम आदमी के चरित्र से जुड़ गई है।

आज भ्रष्टाचार के परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियाँ देश में देखने को मिल रही है, वे हमारे चारित्रिक स्खलन का नतीजा है। आचरण की सुचिता तो गूलर का फूल बन गई है। जिसे जहाँ मौका मिल रहा है, चूकना नहीं चाहता। राजनीतिक क्षेत्रों की स्थिति तो बहुत ही भयावह है। राजनेताओं, नौकरशाहों, बिचौलियों, दलालों और पूंजीपतियों, पत्रकारों के गठजोड़ से भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। आम जनता को जो लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता। देश की सुरक्षा तक भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ चुकी है। रक्षा सौदों तक पर भ्रष्टाचार का सघन जाल फैलता जा रहा है। भारत में घूस की मात्रा में प्रतिवर्ष इतनी तेजी से वृद्धि होती जा रही है कि कुछ लोगों ने इस मजाक में ''घूसवादी राष्ट्र'' कहकर सम्बोधित करना प्रारम्भ कर दिया है।

भारत में भ्रष्टाचार की विकरालता को ध्यान में रखते हुए उन कारणों का विश्लेषण करना आवश्यक है, जो इस 'विष बेल' को खाद–पानी देने का काम कर रहे हैं। अब यह समस्या राजनीतिक या प्रशासनिक गलियारों तक ही सीमित नहीं रहा गई है, बल्कि सामाजिक जीवन से जुड़ गई है। यह समस्या भारतीय समाज पर अच्छादित हो चुकी है और इसके कुप्रभाव भी परिलक्षित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के अभ्युदय के अनेक कारण है। इनमें प्रथम है, ऐसे राजनीतिक अभिजात वर्ग का अभ्युदय जो राष्ट्र हित के कार्यक्रमों और नीतियों की अपेक्षा अपने हित में विश्वास करते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम दो दशकों में राजनैतिक अभिजात इस हद तक ईमानदार, समर्पित और राष्ट्रवादी थे कि वे हमेशा देश की प्रगति के लिए कार्य करते थे। भ्रष्टाचार के कुछ मुद्दे इस समय उछले जरूर थे परन्तु इसका कोई निश्चित परिणाम नहीं था। कम संख्या में थे तथा छोटे मामले थे। आपात काल के साथ भ्रष्टाचार का चेहरा निर्णायक रूप से बदला विश्वविद्यालय, अदालत, रक्षातंत्र, प्रशासन हर संस्था का पतन शुरू हो गया। संजय गाँधी संविधानेत्तर सत्ता केन्द्र के रूप में उभरे। दो प्रक्रियाएं शुरू हुई, राजनीति का अपराधीकरण और राज्यतंत्र का निजीकरण। इस प्रक्रिया से राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाहों ने अपने पद और शक्ति का दुरूपयोग अवैध लाभों के लिए प्रारम्भ किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले महान योद्धा जी0आर0 खैरनार (वृहद मुम्बई नगर निगम के पूर्व उपायुक्त) के शब्दों में भ्रष्टाचार के वृहद संसार में ईमानदार होना सम्भव है लेकिन भ्रष्टाचार के तंत्र को ध्वस्त करना अति दुष्कर है। यदि आप दफ्तर में अपना हिस्सा नहीं लेते हैं तो आपको कदम–कदम पर कठिनाइयों का सामाना करना पड़ेगा।

भ्रष्टाचार की एक बड़ी वजह राजनीति का अपराधीकरण है। इससे सख्त कानून के राज्य का दावा हास्यास्पद हो जाता है। बड़े भ्रष्ट राजनेता कानून के फंदे से आसानी से निकल जाते हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार के बड़े मामलों की जाँच धीमी गति से चलते–चलते जब–तब बंद हो जाती है। भ्रष्टाचार की किसी भी रिपोर्ट पर अभी तक अमल नहीं हुआ। दूसरी बड़ी वजह राजसत्ता का निजीकरण है। राजनेताओं को जब लगा कि नौकरशाही के भ्रष्टाचार में पर्याप्त अतिरिक्त मूल्य पैदा नहीं होता, तो उन्होंने इस रास्ते को अपनाया। जैसे– अमेरिका में सैन्य–औद्योगिक गठजोड़ का राज है, हमारे यहाँ अपराधी नेता–औद्योगिक गठजोड़ का यह एक वैश्विक प्रक्रिया है। कुछ समय पहले अमेरिका के प्रतिष्ठित समाचार पत्र 'वाशिंगटन पोस्ट' में छपा था कि भारत के कुल सांसदों में से एक चौथाई पर आपराधिक मुकदमें चल रहे हैं। ये मुकदमें भी हत्या, बलात्कार और मानव तस्करी जैसे गम्भीर प्रकृति के अपराधों से जुड़े हैं। यह हाल संसद का है, विधान सभाओं की हालत भी कमोवेश ऐसी ही है। कितना मौजू है प्रतिष्ठित कवि बुद्धिसेन शर्मा का यह दोहा–

इन्हें किसी का डर नहीं, या मेरे अल्लाह,
जहर घोलते नदी में मिल–जुल कर मल्लाह।
ये मल्लाह हमारे आदरणीय और माननीय ही हैं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी0वी0सी) अपनी उत्पत्ति की जड़े भ्रष्टाचार निरोधक मामलों से जुड़ी कमेटी की सिफारिशों को बताता है। के0संथानन (सांसद) की अगुवाई में यह कमेटी बनाई गई थी। संस्थान कमेटी ने मुख्य तौर पर भ्रष्टाचार की 4 वजहों की पहचान की– प्रशासनिक देरी, नियामकीय कामकाजों के जरिये सरकार का जरूरत से ज्यादा चीजों को अपने पास रखना, सरकारी अफसरों द्वारा अधिकारों के मामले में विवेकाधीन अधिकार की गुंजाइश और जटिल प्रक्रियाएँ। संथानन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1964 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के जरिये केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई। केन्द्रीय सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सर्वोच्च संस्था के तौर पर यह वजूद में आया। जैन हवाला केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद 1997 में सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया। सी0वी0सी0 कानून 2003 में आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि वह भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के तहत सरकारी मुलाजिमों और निगमों की तरफ से की गई कथित गड़बड़ियों की जाँच करें। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने प्रशासन में पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश की है। आयोग की तरफ से सतर्कता सम्बन्धी कई उपाय पेश किये गए है। ई–बाजार जैसे उपायों से सरकार को सार्वजनिक खरीद में जवाबदेही और इमानदारी को प्रोत्साहित करने में मदद मिली है। इसके तहत ई–निविदा और इलेक्ट्रानिक खरीद पर जोर है।

सूचना का अधिकार (आर0टी0आई0) कानून 2005 अधिकार से जुड़ा कानून है जिसने भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है। साथ ही इसने देश के प्रशासन में नागरिकों की टिकाऊ हिस्सेदारी भी सुनिश्चत की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आर0टी0आई0 का अमल नागरिकों के जानने के अधिकार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें सवाल करने का दायरा भी शामिल होना चाहिए। सूचना हासिल करने की प्रक्रिया पारदर्शी और बिना दिक्कत वाली होनी चाहिए। सूचना हासिल करने की प्रक्रिया पारदर्शी और बिना दिक्कत वाली होनी चाहिए। सूचना के अधिकार से थोड़ी पारदर्शिता आई जरूर है मगर इसमें कई खामियाँ है। इस अधिकार का प्रयोग करने वालों को कानून के तहत सुरक्षा मुहैया कराकर तथा इसका अधिकाधिक प्रचार–प्रसार कर इसे और प्रभावी बनाने की जरूरत है।

आधुनिक शासन की बढ़ती हुई शक्तियों से नागरिकों के हितों तथा अधिकारों की रक्षा के लिए जिन अनेक युक्तियों का अविष्कार किया गया है, उनमें ओम्बुड्समैन का नाम प्रमुख है। इसका 1809 में स्वीडन में अविर्भाव हुआ था। भारत में जिस तरह से लोक प्रशासन और राजनीति में भ्रष्टाचार ने पांव पसारे है, उसे देखते हुए ओम्बुड्समैन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हुई है। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि देश में ओम्बड्समैन जैसी 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि देश में ओम्बड्समैन जैसी संस्था की स्थापना होनी चाहिए। आयोग ने भारत के लिए

ओम्बुड्समैन की दो श्रेणियों की संस्तुति की। पहला लोकपाल तथा दूसरा लोकायुक्त। लोकपाल मंत्रियों एवं सचिवों की जाँच कर सकता है और लोकायुक्त सचिवो के नीचे के अधिकारियों की। लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 ने केन्द्रीय सतर्कता कानून 2003 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है, जहाँ केन्द्रीय सतर्कता आयोग को ग्रुप ए के अधिकारियों के आलावा ग्रुप बी, सी और डी के मुलाजिमों के खिलाफ लोकपाल की शिकायतों पर शुरूआती जाँच करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए जाँच महानिदेशालय बनाया गया। जहाँ तक ग्रुप ए और बी के अफसरों का सवाल है तो लोकपाल द्वारा पेश किये गये मामलों में शुरूआती जाँच की रिपोर्ट आयोग को सौपी जाती है। आयोग लोकपाल की तरफ से पेश मामलों में ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के संदर्भ में भी आगे जाँच का अधिकार दिया गया है। आयोग इसके बाद की कार्यवाई भी कर सकता है।

समस्या कोई भी हो, उसका समाधान निकाला जा सकता है, बशर्ते प्रयासों में दृढ़ता और पारदर्शिता हो। यह बात भ्रष्टाचार पर भी लागू होती है। चूंकि यह समस्या समाज में बहुत गहराई से जुड़ गई, अतएव सर्वप्रथम हमें इसके समाधान की शुरूआत भी परिवार और समाज के स्तर से करनी होगी। हमें पारिवारिक स्तर पर बच्चों में उच्च जीवन मूल्यों को विकसित करना होगा तथा उन्हें ऐसे संस्कार से भरना होगा, जो उन्हें उन्नत चरित्रबल दें। वे उचित–अनुचित का फर्क समझे तथा जीवन में सत्य और निष्ठा को स्थान दें। शिक्षा को नैतिकता से जोड़ना होगा। शिक्षा के जरिये नैतिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देना होगा।

राजनीति में शुचिता के लिए यह जरूरी है कि हम महात्मा गाँधी के राजनीतिक दर्शन को अपनायें। जिस दिन राजनीति निर्मल हो जायेगी और समाज के उच्च जीवन मूल्य विकसित हो जायेंगे, उस दिन भ्रष्टाचार जैसी गंदगी भी विलुप्त हो जायेगी। समग्र प्रयासों की जरूरत है। भ्रष्टाचार के लिए एक क्रांति की जरूरत है। इस संदर्भ में लेनिन का यह कथन महत्वपूर्ण है–

''क्रांति की गति और समय के विषय में भविष्यवाणी करना असम्भव है। यह स्वयं अपने नियमों से शासित होती है, किन्तु जब यह फूटती है, तो सब बाधाओं को ठुकराती चली जाती है।''

हमें इस क्रांति की प्रतीक्षा करनी होगी।

संदर्भ ग्रन्थ

1. राम आहूजा, सामाजिक समस्याएं, पृष्ठ 424–425
2. योजना अक्टूबर 2017, पृष्ठ 40–41
3. जी0एल0 शर्मा, समाजशास्त्र, पृष्ठ 129–132
4. परीक्षा मंथन, संस्करण 2011–12, पृष्ठ 50–54
5. परिमल बी0 कर, समाजशास्त्र, पृष्ठ 642